पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 93/2021

प्रेमकुमार पुत्र प्रजापत उर्फ बृजलाल (खोलायत पुत्र बादो बेवा भगवाना) जाति मेघवाल निवासी जिगासरीबडी हाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. बिदामी पुत्री बादो व भगवाना जाति मेघवाल निवासी जिगासरीबड़ी।
2. माला पुत्री बादो व भगवाना जाति मेघवाल निवासी जिगासरीबड़ी।
3. भुरी पुत्री बादो व भगवाना जाति मेघवाल निवासी जिगासरीबड़ी।
4. जैता पुत्री माईधन पुत्र बादो व भगवाना जाति मेघवाल निवासी जिगासरीबड़ी।
5. गोरा पुत्री माईधन पुत्र बादो व भगवाना जाति मेघवाल निवासी जिगासरीबड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी बडी के खाता सं 70/74 के खसरा सं 76 की 2.681 है0, खसरा सं 99 की 0.405 है0, खसरा सं0 375 की 4.553 है0 कुल 7.639 है0 बारानी खातेदारी में वादी की दत्तक माता बादो के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा रोही मौजा जिगासरी बड़ी के ही खाता संख्या 161/158 के खसरा सं0 374 की 1.100 है0 बारानी गैरखातेदारी में वादी की दत्तक माता बादो के नाम से 1/2 हिस्सा गैरखातेदारी दर्ज हैं। चुंकि प्रतिवादी सं 1 व 2 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी प्रेमकुमार के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः रोही मौजा जिगासरी बडी के खाता सं 70/74 के खसरा सं 76 की 2.681 है0, खसरा सं 99 की 0.405 है0, खसरा सं0 375 की 4.553 है0 कुल 7.639 है0 बारानी खातेदारी भूमि में बादो के नाम 1/4 हिस्सा में से वादी की दत्तक माता बादो पत्नी स्व0 भगवाना का नाम कलमजन कर वादी प्रेमकुमार पुत्र प्रजापत उर्फ बृजलाल को 3/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 भुरी पुत्री बादो को 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 जैता पुत्री माईधन व प्रतिवादी सं0 5 गोरा पुत्री माईधन को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जिगासरी बडी के ही खाता संख्या 161/158 के खसरा सं0 374 की 1.100 है0 बारानी गैरखातेदारी में बादो के नाम से 1/2 हिस्सा गैरखातेदारी में से वादी की दत्तक माता बादो पत्नी स्व0 भगवाना का नाम कलमजन कर वादी प्रेमकुमार पुत्र प्रजापत उर्फ बृजलाल को 3/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 भुरी पुत्री बादो को 1/5

Scanned with CamScanner

हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 जैता पुत्री माईधन व प्रतिवादी सं0 5 गोरा पुत्री माईधन को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के गैरखातेदार घोषित किया जाता है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.6.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner